उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

आलम सिंह उर्फ छोटा बनाम तेजराम

मु. सं. 21/18

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 30–4–2018

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

सायल आलमसिंह उर्फ छोटा पुत्र जगन्या जाति मीना निवासी समलेटी तहसील महवा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि ग्राम समलेटी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 467, 468, 469, 470, 471, 503, 551, 618, 619, 620, 650, 767, 1039, 1040, कुल किता 14 रकबा 5.46 सायल व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की खातेदारी व कब्जा काश्त की है जो पैतृक सम्पत्ति है। खातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है तथा उसी के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 767 रकबा 0.27 हैक्टयर नेशनल हाई वे समीप की आराजी है। गैरसायल संख्या 1 व 2 ताकतवर आदमी है जो सायल की आराजी को हडपना चाहते है। क्योंकि गैरसायल संख्या 1 व 2 की शिक्षण संस्थाण विनायक कालेज का रास्ता पश्चिमी तरफ है इसलिये जबरन कब्जा करना चाहते है। सायल दिनांक 24–2–18 को अपने हिस्सा की आराजी पर था तो गैरसायलान आराजी पर आ धमके और कब्जा करने की धमकी दी।यदि गैरसायलान अपनी धमकी में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा कानसुलन सायल के पक्ष में है। अतः

बद्रीप्रसाद के हिस्सा में खसरा नम्बर 767 में उसका 800 वर्गमीटर भूमि आयी थी तथा सभी सहखातेदारों की सहमति से कनवर्ट करवायी थी तथा बद्रीप्रसाद ने 20 लाख रूपये मे काडूराम को विक्रय कर कब्जा करवा दिया। खसरा नम्बर 767 रकबा 800 वर्ग मीटर से सायल व अन्य किसी व्यक्ति या सहखातेदारों का कोई संबंध नहीं है। सायल का कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है। अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम समलेटी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 767 रकबा 0.27 हैक्टयर की खातेदारी बद्रीप्रसाद सूरजमल आलमसिंह उर्फ छोटा मन्नूलाल पि.जगन्या दिलकौर बेबा जगन्या हि.5/6बिला रहन,डालूराम पुत्र जगन्या हि.1/6 राहिन एस.बी.आईशाखा महवा मुर्तहीन जाति मीना सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान की ओर से एक इकरारनामा दिनांक 9–2–2012 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार खातेदार बद्रीप्रसाद ने 800 वर्गमीटर भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज आलम सिंह वर्द बनाम तेजराम छोटा मु. सं. 21/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
गैरसायल काडूराम पुत्र मंगलराम जाति मीना निवासी समलेटी को विक्रय कर दिया इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विक्रय किया गया भू भाग आवादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो रहा है। जिसके संबंध में सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया कि गैरसायलान द्वारा जबरन प्रार्थीगण की आराजी में होकर रास्ता निकाल लिया है। इससे यह तथ्य सामने आता है कि गैरसायलान का मौके पर कब्जा है किन्तु गैरसायलान का कब्जा संपरिवर्तित भू भाग पर है या उसके अलावा अन्य भाग पर है इन समस्त तथ्यों का निर्धारण मूल दावा में ही किया जावेगा। इसलिये इस स्तर पर हम यह उचित समझते हैं कि संपरिवर्तित रकबा के अलावा शेष भाग के मौके की स्थिति यथावत बनायें रखें। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता हे कि ग्राम समलेटी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 0.27 हैक्टयर के मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। संपरिवर्तित भू भाग पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा । पत्रावली फैसल शुमार हो व शामिल मूल वाद रहे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)	